International Advance Journal of Engineering, Science and Management (IAJESM)
Multidisciplinary, Indexed, Double Blind, Open Access, Peer-Reviewed, Refereed-International Journal.
SJIF Impact Factor =7.938, January-June 2024, Submitted in January 2024, ISSN -2393-8048

भारत में मानवाधिकारों के साथ न्यायिक सक्रियताः एक विश्लेषण

डॉ. अमित कुमार उपाध्याय, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
योगेश कुमार कनौजिया, शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

अमूर्त

यह लेख भारत में मानवाधिकारों के साथ न्यायिक सक्रियता के सम्बन्धों को जानने का प्रयास है। कानून और न्याय मानव विकास की शुरुआत के बाद से ही अस्तित्व में रहे, कानून और न्याय के बिना एक प्रबुद्ध रूप में समाज का निर्माण करना कठिन था, जाहिर तौर पर समाज और समय दोनों गतिशील रहते हैं और इसलिए कानून और न्याय प्रारंभिक काल में बने रहते हैं, लेकिन वे मुख्य रूप से नैतिकता पर आधारित थे, भारतीय संरचनाओं में धर्म की गहरी अंतर्निहित पृष्ठभूमि है, जो हमें इसकी विशाल राजनीतिक और कानूनी सोच के बारे में बताती है, कानून की जड़ें वैदिक ग्रंथों से हैं, जिन्हें हम आज धर्म कहते हैं, दुर्भाग्य से इस आधुनिक युग में कानून और धर्म में कोई अंतर नहीं रह गया है। एक व्यक्ति जो न्यायालय का शासक है, दूसरे शब्दों में वह न्यायालय का पर्यवेक्षण करता है और उससे निष्पक्ष रहने की अपेक्षा की जाती है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। जहाँ पर न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता के माध्यम से मानवधिकारों की रक्षा करने का प्रयास करती है।

न्यायिक सक्रियता का अर्थ है भारत के संविधान के भाग–III में निहित नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण में सक्रिय न्यायपालिका की कार्यवाही , नागरिक के मौलिक अधिकार मूल या जन्मजात या प्राकृतिक अधिकार है। भारत में आजकल भारतीय संविधान के मैलिक अधिकारों की व्याख्या करते समय सर्वोच्च न्यायालय ने मानवाधिकारों पर अन्तराष्ट्रीय घोषणा पत्र से प्रेरणा ली है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहाँ लिखित और सर्वोच्च न्यायालय संविधान है, वहाँ न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

न्यायिक सक्रियता का उद्देश्य अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए असमान निर्णयों और सरकार की गतिहिन कार्यप्रणाली पर केंद्रित है, जब यह न्याय के अपने नैतिक और सामाजिक न्याय के अनुसार सताए गए व्यक्ति को महत्वपूर्ण निर्णय और विरासत सहायता देता है, ऐसी स्थिति में जहां संवैधानिक कानून शांत है।

महत्वपूर्ण शब्दः– न्यायिक सक्रियता, मानवाधिकार संबंध, जनहित याचिका, मौलिक अधिकार ,संविधान

परिचय

''भारत की सेवा का अर्थ उन लोगों की सेवा है जो दुखी ,निर्बल, निर्धन, और असहाय होते हैं। इसका अर्थ है गरीबी, अज्ञानता, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना। हमारी पीढ़ी के सर्वोच्च व्यक्ति की महत्वाकांक्षा हर उस आंख से आंसू पोंछने की रही है, जो हमारी ओर है।'' लेकिन जब तक रोना–धोना और पीड़ा होती रहेगी, हमारा काम खत्म नहीं होगा" पंडित जवाहरलाल नेहरू

''न्यायिक कानून निर्माण का एक दर्शन जिसके तहत न्यायाधीश अपनी घोषणाओं को निर्देशित करने के लिए अन्य कारकों के साथ–साथ सार्वजनिक नीति के बारे में अपने व्यक्तिगत विचार रखते हैं, आमतौर पर इस सुझाव के साथ कि इस बहुवचन के समर्थक संवैधानिक उल्लंघन खोजने की ओर झुकते हैं और मिसाल को नजरअंदाज करने के लिए उत्सुक हैं हम कह सकते हैं कि प्रत्येक न्यायिक मामले पर आधारित है।

मानवाधिकार वे मौलिक, बुनियादी और अविभाज्य अधिकार है जो मनुष्य के रूप में जीवन के लिए आवश्यक हैं। मानवाधिकार वे अधिकार है जो हर मनुष्य को प्राप्त है, चाहे उसकी राष्ट्रीयता, जाति, धर्म, लिंग, आदि कुछ भी हो, क्योकि वह एक मनुष्य है।[1] मानवाधिकारों को जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता है, क्योकि कोई भी इन अधिकारों का उल्लंघन नही कर सकता। मानवाधिकार अविभाज्य, परस्पर संबंधित है, जिनका मानव विकास के साथ स्पष्ट संबंध है और दोनों का एक ही उद्देश्य और एक ही दृष्टिकोण है।[2] मानवाधिकार का संबंध मानव के सर्वांगिण विकास से है। समाज में संबंधों की समग्रता में अपने साथी प्राणीयों के साथ सामंजस्य स्थापित करना।[3] मानव अधिकार समाज में व्यकृतियों के व्यक्तित्व के सर्वांगिण विकास के लिए आवश्यक है, इन्हे आवश्यक रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए तथा सभी व्यकृतियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।[4] मानवाधिकार अनिवार्य मानवीय कार्यों पर आधारित हैं। कुछ ऐसी चीजें है जो सर्वोच्च पवित्र है।[5] मानवाधिकार राजनीति से ऊपर है और ये अधिकार मानवता की रक्षा करते है।

भारतीय संविधान के जनक डॉ. बी आर अंबेडकर ने प्रोफेसर केटी शाह के तर्क पर तीखा विरोध जताते हुए कहा, ''कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाना चाहिए, इसमें कोई टकराव नहीं है, कार्यपालिका को विधायिका से अलग करने के संबंध में, यह है सच है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के

संविधान में इस तरह का विभाजन मौजूद है, लेकिन कई अमेरिकी स्वयं अमेरिकी संविधान में कार्यपालिका और विधायिका के बीच कठोर अलगाव से काफी असंतुष्ट थे, मेरे मन में और कई लोगों के मन में थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं है। राजनीति विज्ञान के विद्वानों का मानना है कि संसद का कार्य इतना जटिल, इतना व्यापक है कि जब तक विधानमंडल के सदस्यों को संसद में बैठकर कार्यपालिका के सदस्यों से प्रत्यक्ष मार्गदर्शन और आविष्कार प्राप्त नहीं होगा, तब तक संसद सदस्यों के लिए यह बहुत समस्याग्रस्त रहेगा। विधायिका के प्रयासों को जारी रखने के लिए, मैं व्यक्तिगत रूप से यह नहीं सोचता कि यदि हम विधायिका के बाद कार्यपालिका को अलग करने की अमेरिकी पद्धति को स्वीकार नहीं करते हैं तो यहां कोई अनगिनत नुकसान होने की संभावना है[6],''

मरियम वेबस्टर का कानून का शब्दकोश

''न्यायिक सक्रियता उन निर्णयों पर व्यक्तिगत अधिकारों को बढ़ाने और संरक्षित करने की न्यायपालिका में प्रथा बनी हुई है जो मान्यता प्राप्त मिसाल से हटते हैं या कथित संवैधानिक या विधायी इरादे के खिलाफ या संप्रभु हैं [7],''

ब्लैक लॉ लेक्सिकनः

''न्यायिक कानून निर्माण का एक दर्शन जिसके तहत न्यायाधीश अपनी घोषणाओं को निर्देशित करने के लिए अन्य कारकों के साथ–साथ सार्वजनिक नीति के बारे में अपने व्यक्तिगत विचार रखते हैं, आमतौर पर इस सुझाव के साथ कि इस दर्शन के समर्थक संवैधानिक उल्लंघनों को खोजने की ओर झुकते हैं और मिसाल को नजरअंदाज करने के लिए उत्सुक हैं।[8]

हम कह सकते हैं कि प्रत्येक न्यायिक मामला सक्रियता पर आधारित होता है।

1. राजनीति सरकार की लगभग सभी शाखाओं में एक भूमिका निभाती है, न्यायिक प्रणाली में भी ऐसा ही करना समझ में आता है हालाँकि, उदार या रूढ़िवादी होने के बजाय प्रगतिशील व्याख्या'' या ''साहित्यवाद'' जैसे टैग का उपयोग किया जाता है। न्यायिक राजनीति में शामिल हैं, न्यायाधीश कानून को कैसे देखते हैं और उसकी व्याख्या कैसे करते हैं?
2. जहां भी कानून अनुपयुक्त हो वहां न्यायाधीश को अपना व्यक्तिगत निर्णय लेने की अनुमति देने के लिए न्यायिक सक्रियता का उपयोग किया जाता है।
3. न्यायाधीश उन कानूनों को लागू करने के लिए अपनी व्यक्तिगत भावनाओं का अभ्यास कर सकते हैं जो उन्हें पक्षपाती लगते हैं चाहे वह कोई कार्यकारी आदेश हो। आप्रवासन प्रश्न या आपराधिक मामला। न्यायाधीश किसी निश्चित मामले का परिणाम निर्धारित करने में सक्षम होंगे।
4. अधिकांश स्थानीय न्यायाधीश चुने गए, वे इस तरह से शासन करते हैं कि लोग लगातार असहमत होते हैं, हालांकि, कुछ न्यायाधीश एक ही चुनाव से 15 साल तक सेवा कर सकते थे, ताकि यह लाभ सीमित हो सके।
5. जब कोई जज देश को न्याय दिलाने की शपथ लेता है. वे न्यायिक सक्रियता को कवर करते समय उचित दायरे में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं और यह न्याय प्रणाली में विश्वास को दर्शाता है।
6. न्यायाधीश निर्णय लेते हैं और निर्णय देते हैं कि कुछ कानून अनुचित हैं। तब किसी अन्य अदालत, यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय में भी अपील को वस्तुतः खारिज किया जा सकता है।

मानव अधिकारों के कार्यान्वयन में न्यायिक सक्रियता :

न्यायिक सक्रियता रचनात्मकता से जुड़ी एक नाजुक प्रक्रिया है। न्यायिक सक्रियता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मौजूदा कानून को अद्यतन करने, उसं समाज की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने और इस प्रकार जनहित को आगे बढ़ाने के संवैधानिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए नए न्यायिक सिद्धान्त विकसित किए जाते हैं। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा और संवैधानिक सिद्धान्तों के कार्यानवयन में न्यायिक सक्रियता मुख्य हथियार है। न्यायिक सक्रियता का मुख्य कारण अन्य प्राधिकरणों की निष्क्रियता है। बुनियादी मानवाधिकारों के क्षेत्र में, न्यायपालिका भारत के संविधान के भाग–III के तहत मौलिक अधिकारों के रूप में कुछ अधिकारों को उठाकर नए सार्वभैमिक सामाजिक – राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप एक नए समतावादी लोकतंत्रातिक और स्वतंत्र समाज के नए संबंधों का लगातार निर्माण कर रही है।[9]

मानवाधिकार से न्यायिक सक्रियता का संबंध

भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को 25 भागों और 12 अनुसूचियों में 448 अनुच्छेदों के साथ लागू हुआ। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि सरकार जनता की इच्छा से अपना अधिकार प्राप्त करती है। यह भावना फैलाती है कि वे सभी जाति, धर्म के बावजूद समान हैं। भाषा, लिंग और

संस्कृति संविधान की प्रस्तावना बताती है, न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार की स्वतंत्रता, विश्वास, विश्वास और पूजा, अभिव्यक्ति, स्थिति और अवसर की समानता और भाईचारा जो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता का वादा करता है ताकि उसके नागरिकों को लाभ हो सके।

मानव संसाधन न्यायशास्त्र न्यायिक सक्रियता को लगातार कायम रखते हुए शहरीकरण की ओर अग्रसर है। और स्वयं के अमानवीय प्राणियों से मनुष्य की प्रगति और इसे रवीन्द्रनाथ टैगोर की पंक्तियों में स्पष्ट रूप से लेबल किया गया है।

''इन गूंगे, पीले और कमजोर लोगों के मुंह में, हमें आत्मा की भाषा डालनी है, इन थके हुए और महिलाओं, सूखे और निराश लोगों के दिलों में, हमें मानवता की भाषा डालनी है।[10]

न्यायशास्त्र की अवधारणा के अनुरूप

''सकारात्मक अधिकार के मामले में सहसंबद्ध कर्तव्य की प्रकृति के अनुसार एक अधिकार को सकारात्मक या नकारात्मक के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। कर्तव्य के अधीन व्यक्ति यहां कुछ करने के लिए बाध्य है, क्योंकि नकारात्मक अधिकार के मामले में, कर्तव्य के अधीन व्यक्ति को इससे रोका जाता है। कुछ करना [11],

जनहित याचिका व्यवस्थाः न्यायिक सक्रियता का एक शिखर

जनहित याचिका आम कानून के तहत वर्ग कार्रवाई का विस्तार एक प्रक्रियात्मक नवाचार है, जिसे भारतीय न्यायपालिका ने अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका से उधार ली गई अवधारणा के आधार पर परिपूर्ण किया है। जनहित याचिका को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बढ़ावा दिया गया है

सुनील बत्रा बनाम भारत संघ[12] मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने एक कैदी बत्रा के पत्र पर विचार किया। जेल में एक साथी कैदी के साथ किए जाने वाले व्यवहार के बारे में शिकायत करते हुए पत्र ने जेलों में एकांत कारावास, विचाराधीन कैदियों की स्थितियों जैसे विभिन्न मुद्दों से निपटने के लिए न्यायालय को सक्रिय किया। यौन शोषण, स्कूलों में अंधी

लड़कियों का यौन शोषण, मानसिक रूप से बीमार व्यक्तियों को हिरासत में रखना, न्यूनतम मजदूरी, बच्चों की अवैध बिक्री, बंधुआ मजदूरी। पर्यावरण संरक्षण, कॉलेजों में नए छात्रों के साथ दुर्व्यवहार, बेहतर सड़कें, भूमि का अधिकार, बाल गृहों में बच्चों की स्थिति, देखभाल गृहों के कैदियों का उपचार, मानसिक अस्पतालों की स्थिति और कथित पुलिस मुठभेड़ों में मौतें।

रुदल शाह बनाम बिहार राज्य[13], मुआवजे के अधिकार के उद्भव ने मानवाधिकार समझौतों में शामिल होने के अपने दस्तावेज में भारत द्वारा की गई आपत्तियों में से एक को रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि भारतीय कानून इस घटना में ऐसे अधिकार की पहचान नहीं करता है।

परमानंद कटरा बनाम भारत संघ[14], यह व्यवस्था करने के लिए कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार में श्रमिकों के स्वास्थ्य और चिकित्सा सहायता का अधिकार भी शामिल है। संविधान निर्माताओं के इरादों को प्रतिबिंबित करते हुए एके गोपालन बनाम राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब केवल यह है कि एक प्रक्रिया को विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए।

शीला बरसे बनाम महाराष्ट्र राज्य[15] जेल में महिला कैदियों की सुरक्षात्मक हिंसा की वकालत करते हुए सुप्रीम कोर्ट को संबोधित एक पत्रकार द्वारा लिखा गया एक पत्र, कानून अदालत ने उस पत्र को एक रिट याचिका के रूप में माना और उस मामले का संज्ञान लिया और फैसला सुनाया। राज्य–संचालित अधिकारियों के लिए परस्पर विरोधी दिशानिर्देश दिए।

गोलकनाथ और अन्य बनाम पंजाब राज्य[16] सुप्रीम कोर्ट ने माना कि भाग 3 में संरक्षित एफआर प्रतिरक्षात्मक हैं और इन्हें विधान सभा द्वारा संपादित नहीं किया जा सकता है।

अजय हसीया बनाम खालिद मुजीब[17], मामले में यह माना गया कि इसकी एक विशेष जिम्मेदारी है, ''मौलिक अधिकारों की सीमा और अर्थ को बढ़ाना और मानवाधिकार न्यायशास्त्र को आगे बढ़ाना''

बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बनाम एमवी दाभोलकर[18] में यह कहा गया कि बार काउंसिल 2 महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, पहला, शिकायतें प्राप्त करना, दूसरा विचारशील अपराध, पेशेवर या अन्य दुर्व्यवहार को सूचित करना और अंत में अनुशासनात्मक समिति को मामले 15 का उल्लेख करना।

विशाखा बनाम राजस्थान राज्य[19], फैसले में यौन उत्पीड़न को ''समानता, गैर–भेदभाव, जीवन और स्वतंत्रता के महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकारों का एक गंभीर उल्लंघन'' के रूप में मान्यता दी गई। नियोक्ताओं को निर्देशित नियमों में यौन उत्पीड़न के चरणों की एक सूची शामिल थी। उत्पीड़न निवारण

और शिकायत उपायों के विवरण के लिए ''लिंग समानता के अधिकार की सुरक्षा और प्रवर्तन के लिए सभी कार्यक्षेत्रों में सख्ती से पता लगाया जाना चाहिए''

न्यायालय का मुख्य महत्व एक राष्ट्रव्यापी और विश्वव्यापी मुद्दे के रूप में समस्याग्रस्त जनसंख्या विस्फोट पर था'' जावेद के फैसले ने गंभीर रूप से यह आकलन करने की उपेक्षा की कि क्या विवादित प्रावधान था वास्तव में घरेलू नियोजन पर इसका इच्छित प्रभाव होने के कारण न्यायालय ने प्रावधान को ''अच्छी तरह से परिभाषित,'' ''समझदारी के अंतर पर आधारित'' बताया।[20]

एमसी मेहता बनाम भारत संघ[21], फैसला सुनाया गया और कानपुर की टेनरियों से असंसोधित सीवेज को गंगा में जाने की अनुमति देने के लिए सार्वजनिक अधिकारियों को फटकार लगाई गई। इस मामले में, उद्योगों के अलावा, अतिरिक्त 250 कस्बों और शहरों को अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया है। कचरे को हटाने के लिए गंदगी उपचार संयंत्र लगाना।

निष्कर्ष

ऐसा कहा जाता है कि एक न्यायाधीश न केवल प्रतिमा के सिद्धांतों या उसके शाब्दिक अर्थ से चिपके रहकर कानून की व्याख्या करता है, बल्कि अपने अनुमान के अनुसार अपने परिचितों के साथ व्याख्या करके, जो वह उचित समझता है, तब उसे एक सक्रिय न्यायाधीश न्यायिक सक्रियता के रूप में जाना जाता है। भारत एक पृथक प्रतिमान नहीं था, वास्तव में, यह प्राचीन काल से चली आ रही प्रथा में एक प्रगति है, प्रक्रियात्मक और पर्याप्त परिवर्तनों के साथ जनहित याचिका के माध्यम से न्यायिक सक्रियता ने विकास कार्यान्वयन और मानवाधिकारों की अधिक मान्यता को सुविधाजनक बनाया है, अब, हम सभी आधुनिक हो गए हैं जहां सब कुछ गतिशील है। और चाहे वह कानून हो या कोई अन्य प्रथा, बदलता रहता है।

मानवाधिकार सभी मनुष्यों के मूल अधिकार है। कोई भी व्यक्ति इन अधिकारों का उल्लंघन नही कर सकता है क्योकि ये जन्मसिद्ध अधिकार है। भारत में मानवाधिकार को शामिल करने के लिए भारत के संविधान में भाग –III में मौलिक अधिकार के रूप में आधार अधिकार को शामिल किया है। भारत में न्यायपालिका भाग– III में उल्लिखित इन अधिकारों को मानवाधिकारों पर अन्तर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के अनुरूप विस्तारित करने का प्रयास करती है।

वास्तव में, यह बार–बार कहा गया है कि हम न्यायिक सक्रियता के युग में हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कपूर एस.के., बीसवां संस्करण (2016) सेन्ट्रल लॉ एजेंसी, पृष्ठ 817
2. आनंद ए.एस., जस्टिस फॉर विमेन, यूनिर्वसल लॉ पब्लिशिंग, पृष्ठ. 6
3. भारत में मणि बनाम मानवाधिकार
4. अग्रवाल एच. ओ., मानवाधिकार, केन्द्रीय विधि प्रकाशन पृष्ठ 3.
5. क्रैनस्टोन मौरिले द्वारा एल.जे. मैर्क्फलेन, द थ्योरी एडं प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन राइटस (1985) पृष्ठ 7
6. आईडी 967968 पर
7. मरियम–वेबस्टर डिक्शनरी ऑफ लॉ (स्प्रिंगफील्ड मैसाचुसेट्स ,मरियम वेबस्टर), 1999
8. गार्नर ए ब्रायन. ब्लैक्स लॉ डिक्शिनरी (वेस्ट ग्रुप पब्लिकेशन, 7वां संस्करण), 2002
9. डॉ. मारुथे टीआर, भारत में अतंराष्ट्रीय मानवाधिकारों का कार्यन्वयन, एशियन लॉ हाउस, पृष्ठ 232.
10. ममता राव, पीआईएल कानूनी सहायता और लोक अदालत
11. एनवी परांजपे न्यायशास्त्र
12. एआई एससी 1675,1978.
13. एआईआर एससी 1086,1983.
14. एआईआर एससी 2039,1989.
15. एससीआर 88,1950.
16. जेटी 136, 1986.
17. एआईआर 1643,1967.
18. एआईआर एससी 2092,1975.
19. एयू एससी 3011,1997
20. एआईआर एससी 3057,2003.
21. एससीआर (1) 819, 1987.